राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 17/2022
दायरा तिथि : 02/03/2022
निर्णय :- 7-8-25

किशनी देवी बनाम पन्नी देवी आदि
प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट में अंकितानुसार भूमि साबिका खसरा संख्या 124 तादादी 11 बीघा 19 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 211 तादादी 1.2646 हेक्टेयर व खसरा संख्या 212 तादादी 1.7579 हेक्टेयर वाके रोही बालेरा तहसील बीदासर में स्थित है। उक्त भूमि मिशल बन्दोबस्त सम्वत् 2002 व जमाबन्दी संवत् 2010 व 2011 में गिधा, बचना, गुणा, फूसा, तुलछा पिसरान पुरखा कोम मेघवाल निवासी बालेरा के नाम से दर्ज थी। सम्वत् 2012 में जमाबंदी बनाते समय राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादगत भूमि सम्पूर्ण अकेले बचना पुत्र पूरखा कौम मेघवाल के नाम दर्ज कर दी गई व शेष खातेदारों का नाम भूमि से हटा दिया गया जबकि भूमि पांचों भाईयों की बहिस्सा बराबर थी। राजस्व कर्मचारियों को इस प्रकार से खातेदारी से नाम हटाने का कोई अधिकार नहीं था। बचना के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि उसके वारिसानों के नाम दर्ज चली आ रही है। पुरखाराम के पांचों पुत्रों का स्वर्गवास हो चुका है, वादगत भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व गौण–अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रहे हैं। इसी प्रकार वर्तमान खसरा संख्या 42 तादादी 6.7279 हेक्टेयर वाके रोही बालेरा तहसील बीदासर में स्थित है, जिसमें हम प्रार्थीगण तीनों का 2/15 हिस्सा दर्ज था, खसरा नम्बर 42 तादादी 6.7279 हेक्टेयर में हम प्रार्थीगण ने अपने नाम से दर्ज 2/15 हिस्सा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के राजू देवी पत्नी चन्द्राराम मेघवाल निवासी बालेरा को विक्रय कर दी है इस कारण खसरा संख्या 42 में वर्तमान में हमारा नाम नहीं है। उक्त भूमि हमारी पुश्तैनी भूमि है, उक्त भूमि पहले हमारे पति/पिता फूसाराम पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी बालेरा के नाम से 1/5 हिस्सा दर्ज थी। फुसाराम के स्वर्गवास के बाद यह भूमि प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज हो गई, लेकिन जमाबंदी सम्वत् 2041 में हमारा तीनों का कुल हिस्सा 1/5 की जगह 2/15 दर्ज कर दिया गया। जबकि हमारा तीनों का वास्तविक रूप से 1/5 हिस्सा होना चाहिए था, जो पहले हमारे पति/पिता फुसाराम का था। पटवारी हल्का की गलती से हमारा हिस्सा गलत दर्ज होने से हमारी कृषि भूमि कम हो गई, जिसको सही करवाने का कानूनी अधिकार है। प्रार्थीगण ने दिनांक 25/02/2022 को अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 11 से मौखिक रूप से निवेदन किया कि खसरा संख्या 42 में हमारी भूमि को 2/15 हिस्सा की बजाये, 1/5 हिस्सा करवायें तथा खसरा संख्या 211 तादादी 1.2646 हेक्टेयर व खसरा संख्या 212 तादादी 1.7579 हेक्टेयर वाके रोही बालेरा में मिशल बन्दोबस्त सम्वत् 2002 जमाबंदी सम्वत् 2010 से 2011 के अनुसार हम प्रार्थीगण व गौण–अप्रार्थीगण का नाम दर्ज करवाकर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड को संशोधित करवायें। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने ऐसा करवाने से साफ इन्कार कर दिया। इसलिए प्रार्थीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वे न्यायालय के मार्फत राजस्व रेकॉर्ड में दुरूस्ति करवाकर अपनी खातेदारी दर्ज करवाये। वादगत भूमि ग्राम बालेरा तहसील बीदासर में स्थित होने से श्रीमान् जी के न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है, आदि–आदि प्रार्थना–पत्र पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01, 06, 08, 11 दिनांक 12/04/2022 को जरिये वकील उपस्थित आये व अप्रार्थी संख्या 02 ता 05, 07, 09, 10, 12, 13 व गौण–अप्रार्थीगण संख्या 15 ता 27 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये, इनके खिलाफ दिनांक 29/11/2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी पन्नी की ओर से दिनांक 12/04/2023 को एक प्रार्थना–पत्र वास्ते प्रार्थीगण का मूल प्रार्थना–पत्र खारीज करने का पेश किया गया। जिसका प्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। प्रार्थीगण का जवाब दिनांक 19/06/2024 को बंद किया गया। बहस हेतु पत्रावली नियत की गई।

उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के निवेदन पर अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को मूल प्रार्थना–पत्र का जवाब मानते हुए पत्रावली में अंतिम रूप से बहस करने के निवेदन पर पत्रावली में अंतिम मूल प्रार्थना–पत्र की बहस दोनों की ओर से सुनी गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने मूल प्रार्थना–पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि मेरा प्रार्थना–पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार करते हुए साबिका खसरा संख्या 124 जिसके हाल खसरा संख्या 211 तादादी 1.2646 व खसरा संख्या 212 तादादी 1.7579 में राजस्व कर्मचारियों की गलतियों व लापरवाही से सम्वत् 2010 व 2011 में हम प्रार्थीगण व गौण–अप्रार्थीगण का नाम दुरूस्त कर दिया जिसको शुद्ध किया जाकर हम प्रार्थीगण व गौण–अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड में जोड़ा जावे व खसरा संख्या 42 तादादी 6.7279 हेक्टेयर वाके रोही बालेरा में हमारी पैतृक व पुश्तैनी भूमि है जो हमारे पति/पिता फुसाराम के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज थी लेकिन जब फुसाराम के स्वर्गवास के बाद यह भी हम प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी दर्ज हो गई, लेकिन जमाबंदी सम्वत् 2041 में हमारा तीनों का कुल हिस्सा 1/5 की जगह 2/15 दर्ज कर दिया गया, जिसको दुरूस्त किया जाकर हमारा तीनों का 1/5 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर दर्ज किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता ने एक न्यायिक दृष्टांत उदयलाल बनाम सरकार में अंकित दृष्टांत व निर्देश पेश कर निवेदन किया कि मेरे प्रार्थना–पत्र का समर्थन उक्त दृष्टांत बखूबी कर रहे हैं।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने इस प्रार्थना–पत्र के खिलाफ में अपनी बहस में निवेदन किया कि खेत खसरा संख्या पुराना 124 जिसके हाल खसरा नम्बर 211 तादादी 5 बीघा व खसरा नम्बर 212 तादादी 6 बीघा 19 बिस्वा वाके रोही बालेरा में सम्वत् 2012 से 2015 एवं सम्वत् 2016 से 2019 की जमाबंदी व सम्वत् 2013 से सम्वत् 2015 एवं सम्वत् 2016 से 2023 की गिरदावरी में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 के ससुर एवं दादा स्वर्गीय बचना पुत्र पुरखा जाति चमार के नाम से काश्त अंकित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण व गौण–अप्रार्थीगण के किसी पूर्वज का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं है इसलिए प्रार्थीगण व गौण–अप्रार्थीगण का इस प्रार्थना–पत्र धारा 136 एलआर एक्ट में खातेदारी दर्ज नहीं की जा सकती व खेत खसरा संख्या 42 तादादी 6.7279 हेक्टेयर रोही ग्राम बालेरा में प्रार्थीगण अपना 2/15 हिस्सा के स्थान पर 1/5 हिस्सा की खातेदारी दर्ज करवाना चाहते हैं, यह राजस्व रेकॉर्ड नामान्तरकरण से दर्ज हुआ है जिसका इस प्रार्थना–पत्र व इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, धारा 136 एल.आर. एक्ट में केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि, टंकणीय भूल को शुद्ध कर दूरूस्त करवाया सकता हैं, साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार से काबिज काश्तकार टीनेन्ट नहीं है और टीनेन्ट नहीं होने की स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र किसी प्रकार से खातेदारी अधिकारी इस न्यायालय से नहीं दिये जा सकते। प्रार्थीगण की अशुद्धियां एक लिपिकीय या टंकणीय भूल से नहीं हुई है, या ऐसी त्रुटि जो पक्षकार दुरूस्त कराने हेतु सहमत हो उसे ही परिवर्तित किया जा सकता है। जो एक सक्षम अधिकारी या कर्मचारी के आदेश से की गई है। जिसका प्रार्थीगण

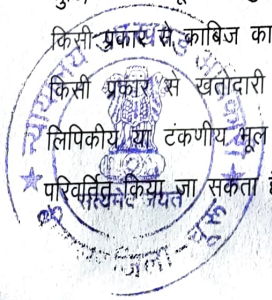

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

इस धारा से अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अंतिम रूप से इसी स्टेज पर खारीज फरमाया जावे, आदि–आदि निवेदन किया। प्रश्नगत भूमि का भू प्रबन्धक कार्य के दौरान पूर्ण जांच कर आदेश पारीत किया गया है अप्रार्थी ने जवाब के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किया कि आरआरटी–2019 पृष्ठ संख्या 137 व आरआरटी–2021 (1) पृष्ठ संख्या 622 के न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार यह बखूबी प्रमाणित है कि प्रार्थीगण किसी प्रकार से इस धारा में अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व अप्रार्थी की तरफ से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र व प्रस्तुत रेकॉर्ड एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र इस प्रकार कि खेत खसरा संख्या पुराना 124 जिसके हाल खसरा संख्या 211 तादादी 5 बीघा व 212 तादादी 6 बीघा 19 बिस्वा व खसरा संख्या 42 तादादी 6.7279 हेक्टेयर रोही ग्राम बालेरा तहसील बीदासर जिला चूरू में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष इस प्रार्थना–पत्र से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि धारा 136 एल.आर. एक्ट के प्रार्थना–पत्र के अनुसार कोई लिपिकीय त्रुटि अथवा टंकणीय भूल में सुधार करवाने के अधिकारी हैं, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में खातेदारी व नामान्तरकरणों से रेकॉर्ड में तब्दीली हुई है, जो एक सक्षम कर्मचारी व अधिकारी के आदेशानुसार किया गया है, जो इस धारा के अनुसार प्रार्थीगण अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजों से यह भी प्रमाणित नहीं है कि प्रार्थीगण का इस भूमि पर सम्वत् 2012 से कब्जा काश्त हो, ना ही उनके द्वारा लगान जमा कराने का कोई प्रमाण है, प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार से काबिज काश्तकार टीनेन्ट भी नहीं है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र से मैं सहमत नहीं हूँ, न ही प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 136 एलआर एक्ट इस प्रकार से है कि खेत खसरा संख्या पुराना 124 जिसके हाल खसरा संख्या 211 तादादी 5 बीघा व 212 तादादी 6 बीघा 19 बिस्वा व खसरा संख्या 42 तादादी 6.7279 हेक्टेयर रोही ग्राम बालेरा तहसील बीदासर जिला चूरू में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष इस प्रार्थना–पत्र से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि धारा 136 एलआर एक्ट के प्रार्थना–पत्र से कोई लिपिकीय त्रुटि अथवा टंकणीय भूल में सुधार करवाने के अधिकारी हैं, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में खातेदारी व नामान्तरकरणों से रेकॉर्ड में तब्दीली हुई है, जो एक सक्षम कर्मचारी व अधिकारी के आदेशानुसार किया गया है, जो इस धारा के अनुसार प्रार्थीगण अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजों से यह प्रमाणित भी नहीं है कि प्रार्थीगण का इस भूमि पर सम्वत् 2012 से कब्जा काश्त हो, ना ही उनके द्वारा लगान जमा कराने का कोई प्रमाण है, प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार से काबिज काश्तकार टीनेन्ट भी नहीं है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाता है, पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर